



कार्यालय मुख्य अभियंता (सागर क्षेत्र) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लिमि., सागर
दूरभाष- 07582-261214 फ़ैक्स- 07582-261215 ई-मेल - ce9550000@yahoo.co.in

Chief (CS&A)
R/No. 45 Dt 20-04-18
Sy. Manager
S. E. D. P. O.
Programmer

क्रमांक: 155-01-00-/स्था.4/

सागर दिनांक,
PA to Chief (CS&A)
Estt

आदेश

मुख्य महाप्रबंधक(मानव संसाधन एवं प्रशासन), म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर के पत्र क्र. प्र.सं./पू.क्षे./मु.महा./मा.सं. एवं प्रशा./स्था.4/10498 दिनांक 3.3.2014 एवं पत्र क्र. 4010 दिनांक 9.6.2017 के परिपालन में एवं एप्रेन्टिस(संशोधन)एक्ट 1973 एवं 1986 के प्रावधान के अनुसार एप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित डिप्लोमा एप्रेन्टिसों को एक वर्षीय तकनीकी प्रशिक्षण हेतु नियोजित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति कार्यालय मुख्य अभियंता(सागर क्षेत्र), म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., सागर में 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें:-

क्र.	नाम	श्रेणी	संकाय	नियोजित वृत्	पता
1.	रामसुमेर वैश्य	सामा.	Elect.Eng	सं/सं वृत् दमोह	ग्राम-ढोटी, वार्ड क्र.38 पोस्ट बैदन जिला-सिंगरौली
2.	कमल कुमार वर्मन	सामा.	Elect.Eng	सं/सं वृत् दमोह	रेल्वे कालोनी धनपुरी नं.3 सोहागपुर शहडोल
3.	शुभकांत अरजरिया	सामा.	Elect.Eng	सं/सं वृत् दमोह	धुरपुरा, नई बस्ती वार्ड नं. 20 मैहर, सतना
4.	कु. संजना कुर्मी	सामा.	Elect.Eng	सं/सं वृत् सागर	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड बगिया, खुरई जिला-सागर
5.	आशीष दुबे	सामा.	Elect.Eng	सं/सं वृत् दमोह	ग्राम-चिलौद, पोस्ट-बम्होरी(माला) तह.जबेरा जिला-दमोह
6.	कु.निक्की दांगी ठाकुर	सामा.	Elect.Eng	सं/सं वृत् सागर	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड, पठारी नाका, खुरई जिला-सागर
7.	शहनवाज खान रंगरेज	सामा.	Elect.Eng	सं/सं वृत् सागर	बिलवारी पुरा वार्ड नं.13 रहली जिला-सागर

नियम एवं शर्तें :-

- चयनित उम्मीदवार को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में किसी अन्य संस्थान से एप्रेन्टिस के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है
- चयनित उम्मीदवार को उपस्थिति के समय संलग्न प्रपत्र के आधार पर रु. 20/- के बांड में निर्धारित अंडरटेकिंग देना होगी।
- उपस्थिति के समय चयनित उम्मीदवार अपने शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र से संबंधित मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक सक्षमता प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
- चयनित उम्मीदवार की प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष की होगी एवं इसके पश्चात म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. में नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा।
- डिप्लोमा एप्रेन्टिस को रु. 3542/- प्रतिमाह शिष्यवृत्ति प्रदान की जावेगी।
- डिप्लोमा एप्रेन्टिस की सभी शर्तें एप्रेन्टिस(संशोधन)एक्ट 1973 एवं 1986 के तहत होगी।
- डिप्लोमा एप्रेन्टिस को एक वर्ष के दौरान 12 आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
- एप्रेन्टिस नियमों के संबंध में अधिक जानकारी/शंका समाधान हेतु वेबसाइट www.apprentice-engineer.com का अवलोकन किया जा सकता है।
- चयनित उम्मीदवार को आदेश प्रसारित होने की तिथि से 15 दिन के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। तत्पश्चात् आवश्यक कार्यवाही उपरांत उन्हें संबंधित वृत् में उपस्थित होना है।
- चयनित उम्मीदवार उपस्थिति के समय अपना NATS Registration नंबर आवश्यक रूप से लायें।

क्रमांक: 155-01-00-/स्था.4/ 2605
प्रतिलिपि :-

- मुख्य महाप्रबंधक(मानव संसाधन एवं प्रशासन), म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लिमि., जबलपुर।
- प्रमुख(CS&A), म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर। आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने बावत सादर प्रेषित।
- अधीक्षण अभियंता(संचा/संधा), म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लिमि., सागर/दमोह।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी, म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लिमि., सागर।
- श्री/कु. समस्त उपरोक्त नुमा।
- आदेश नस्ति।

संलग्न:- क्रमांक-5 हेतु।

मुख्य अभियंता
सागर क्षेत्र

सागर दिनांक, 19 APR 2018

अधीक्षण अभियंता
कार्या. मुख्य अभियंता
सागर क्षेत्र